



निविदा प्रपत्र (मूल्य- ₹ 1150.00 वेट सहित)

रसीद संख्या/.....दिनांक.....

नगर निगम, गोरखपुर
निगम स्वामित्व के स्थलों पर यूनिपोल लगाकर विज्ञापन प्रदर्शन हेतु प्रस्ताव

- 1- विज्ञापन एजेन्सी / फर्म / संस्था / ठेकेदार का नाम-.....
- 2- पता-
- 3- विज्ञापनकर्ता / आवेदक का नाम-.....
- 4- पंजीकरण श्रेणी-.....
- 5- वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु नवीनीकरण- नवीनीकृत, अनवीनीकृत
- 6- मोबाइल नं०-.....
- 7- ई-मेल आई डी-.....
- 8- निगम स्वामित्व के स्थलों पर विज्ञापन हेतु प्रस्ताव-.....

क्र० सं०	स्थल का विवरण	स्थापित किये जाने वाले यूनिपोल की सं०	वांछित संख्या	वांछित संख्या हेतु विज्ञापन कर की धनराशि	प्रीमियम आफर की धनराशि	विज्ञापन कर की 50 प्रतिशत धनराशि	प्रीमियम आफर की सम्पूर्ण एवं विज्ञापन कर की 50 प्रतिशत धनराशि का योग (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
श्रेणी "प्रवर"							
डिवाइडर यूनिपोल (प्रति यूनिट विज्ञापन कर ₹ 1,00,359.00)							
1	बेतियाहाता चौक से शास्त्रीचौक	3					
2	शास्त्रीचौक से टाउनहाल चौक	1					
3	टाउनहाल चौक से कालीमन्दिर तिराहा	4					
4	रेलवे स्टेशन चौराहा से मालगोदाम रोड	2					
5	जिला परिषद रोड	1					
6	कचहरी चौक से टाउनहाल पेट्रोल पम्प तक	2					
7	अम्बेडकर चौक से कैन्ट चौराहा	1					
8	अम्बेडकर चौक से हरिओम नगर तिराहा	1					
पल्लेग यूनिपोल (प्रति यूनिट विज्ञापन कर ₹ 1,00,359.00)							
9	रेलवे स्टेशन चौराहा से मालगोदाम रोड	1					
10	टाउनहाल पेट्रोल पम्प से विजय चौक	2					

11	हरिओम नगर तिराहे से जी0डी0ए0 टावर	2					
12	अम्बेडकर चौक से हरिओम नगर तिराहा	1					
"अ" श्रेणी							
डिवाइडर यूनिपोल (प्रति यूनिट विज्ञापन कर रू0 66.906.00)							
13	काली मन्दिर तिराहा से यातायात चौक	2					
14	गणेश चौराहा से यूनिवर्सिटी चौराहा	1					
15	शास्त्री चौक से अम्बेडकर चौक	3					
16	अम्बेडकर चौक से छात्रसंघ चौक	2					
17	यूनिवर्सिटी चौक से मोहददीपुर चौक	2					
18	महेश चौक से जैनसंघ चौक	2					
फ्लैग यूनिपोल (प्रति यूनिट विज्ञापन कर रू0 66.906.00)							
19	काली मन्दिर तिराहा से असुरन पुल तक	1					
20	आर0टी0ओ0 तिराहा से लो0नि0वि0 डाक बंगला	2					
21	रेलवे स्टेशन महाराणा प्रताप मूर्ति से यूनिवर्सिटी चौक	3					
साइड यूनिपोल (प्रति यूनिट विज्ञापन कर रू0 33,462.00)							
22	काली मन्दिर तिराहा से पुलिस लाइन पूर्वी	1					
"ब" श्रेणी							
डिवाइडर यूनिपोल (प्रति यूनिट विज्ञापन कर रू0 50,180.00)							
23	धर्मशाला पुल से असुरन चौक	3					
फ्लैग यूनिपोल (प्रति यूनिट विज्ञापन कर रू0 50,180.00)							
24	मोहददीपुर चौक से गुरुग तिराहा	2					
"स" श्रेणी							
फ्लैग यूनिपोल (प्रति यूनिट विज्ञापन कर रू0 33,453.00)							
25	पादरी बाजार चौक से खजान्ची चौक	1					
26	अमर उजाला तिराहा से तारामण्डल रोड	1					
27	असुरन चौक से मेडिकल कालेज रोड	3					
योग:-		50					

8- निविदा के साथ संलग्न बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक का विवरण :-

- (I) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संख्या.....दिनांक.....
(II) धनराशि अंकों में.....(शब्दों में).....

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि नगर निगम गोरखपुर में विज्ञापन सम्बन्धित समस्त करों एवं अन्य देयको की कोई पावना मेरी विज्ञापन एजेन्सी/फर्म/संस्थान पर अवशेष नहीं है। नगर निगम, गोरखपुर द्वारा जारी अदेयता प्रमाण पत्र संलग्न है।

मैंने निविदा से सम्बन्धित समस्त शर्तों को पढ़ लिया है, जो मुझे स्वीकार है। मेरी विज्ञापन एजेन्सी/फर्म/संस्थान को किसी सरकारी/गैर सरकारी विभाग द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है। मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त जानकारियाँ एवं विवरण सही और सत्य है, यदि जॉचोपरान्त कोई जानकारी भ्रामक अथवा मिथ्या हो तो नगर निगम, गोरखपुर मेरे द्वारा जमा आफर एट धरोहर की धनराशि जब्त करते हुए मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है।

संलग्नकों की संख्या.....

दिनांक

स्थान

आवेदक के नाम व हस्ताक्षर



विज्ञापन विभाग, नगर निगम, गोरखपुर
वर्ष 2017-18 के लिए यूनिपोल पर विज्ञापन हेतु नियम व शर्तें

1- गोरखपुर नगर निगम सीमान्तर्गत विज्ञापन प्रदर्शित करने का अनुबन्ध वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु है, जिसे नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत नवीनीकृत किया जा सकता है।

2- नगर निगम, गोरखपुर सीमान्तर्गत यूनिपोल लगाये जाने हेतु स्थल का विवरण-

क्र० सं०	स्थल का विवरण	स्थापित किये जाने वाले यूनिपोल की संख्या
1	2	3
" प्रवर " श्रेणी		
डिवाइडर यूनिपोल		
1	बेतियाहाता चौक से शास्त्रीचौक	3
2	शास्त्रीचौक से टाउनहाल चौक	1
3	टाउनहाल चौक से कालीमन्दिर तिराहा	4
4	रेलवे स्टेशन चौराहा से मालगोदाम रोड	2
5	जिला परिषद रोड	1
6	कचहरी चौक से टाउनहाल पेट्रोल पम्प तक	2
7	अम्बेडकर चौक से कैंट चौराहा	1
8	अम्बेडकर चौक से हरिओम नगर तिराहा	1
फ्लैग यूनिपोल		
9	रेलवे स्टेशन चौराहा से मालगोदाम रोड	1
10	टाउनहाल पेट्रोल पम्प से विजय चौक	2
11	हरिओम नगर तिराहे से जी०डी०ए० टावर	2
12	अम्बेडकर चौक से हरिओम नगर तिराहा	1
"अ" श्रेणी		
डिवाइडर यूनिपोल		
13	काली मन्दिर तिराहा से यातायात चौक	2
14	गणेश चौराहा से यूनिवर्सिटी चौराहा	1
15	शास्त्री चौक से अम्बेडकर चौक	3
16	अम्बेडकर चौक से छात्रसंघ चौक	2
17	यूनिवर्सिटी चौक से मोहददीपुर चौक	2
18	महेवा चौक से प्रेमचन्द पार्क होते हुए टी०डी०एम०तिराहा	2
फ्लैग यूनिपोल		
19	काली मन्दिर तिराहा से असुरन पुल तक	1
20	आर०टी०ओ० तिराहा से लो०नि०वि० डाक बंगला	2
21	रेलवे स्टेशन महाराणा प्रताप मूर्ति से यूनिवर्सिटी चौक	3
साइड यूनिपोल		
22	काली मन्दिर तिराहा से पुलिस लाइन पूर्वी	1
"ब" श्रेणी		
डिवाइडर यूनिपोल		
23	धर्मशाला पुल से असुरन चौक	3

फ्लैग यूनिपोल		
24	मोहददीपुर चौक से गुरुग तिराहा	2
“स” श्रेणी		
फ्लैग यूनिपोल		
25	पादरी बाजार चौक से खजान्ची चौक	1
26	अमर उजाला तिराहा से तारामण्डल रोड	1
27	असुरन चौक से मेडिकल कालेज रोड	3
योग		50

प्रतिबन्धित क्षेत्र

(क)- निजी भूमि भवन एवं सार्वजनिक स्थल विज्ञापन के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रचार हेतु निषिद्ध क्षेत्र :

(1) गोरखनाथ मन्दिर के आस पास, विश्वविद्यालय रोड आ0टी0ओ0 तिराहा से विश्वविद्यालय गेट तक, सर्किट हाउस रोड

(ख) स्थल विज्ञापन के अन्तर्गत होर्डिंग एवं यूनिपोल हेतु प्रतिबन्धित क्षेत्र

- (1) जिलाधिकारी आवास, आयुक्त आवास तथा कार्यालय आयुक्त एवं कार्यालय नगर निगम परिसर ।
- (2) शहर के समस्त मुख्य चौराहे एवं मुख्य चौराहो से चारों ओर 20 मीटर तक
- (3) राष्ट्रीय राजमार्ग / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के स्वामित्व वाले मार्ग
- (4) नगर आयुक्त 100 की0 आई0 पी0 मूवमेन्ट, यातायात एवं सुरक्षा की दृष्टि से नदिय में उपरगमो सडु हेतु निर्धारित रूट पर पिलर के निर्माण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी क्षेत्र को प्रचार हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये जाने के लिए अधिकृत होंगे।

एक स्तम्भ (यूनीपोल) पर कर की दरें

एक स्तम्भ (यूनीपोल)

प्रवर श्रेणी क्षेत्र : रू0 2700/- (दो हजार सात सौ रूपया) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष


“अ” श्रेणी क्षेत्र : रू0 1800/- (एक हजार आठ सौ रूपया) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष


“ब” श्रेणी क्षेत्र : रू0 1350/- (एक हजार तीन सौ पचास रूपया) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

“स” श्रेणी क्षेत्र : रू0 900/- (नौ सौ रूपया) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

- 3- विज्ञापन एजेन्सियों/फर्मों/टेकेदारों के चयन एवं वरीयता का आधार प्रीमियम आफर की धनराशि होगी।
- 4- किसी स्लाट हेतु प्राप्त निविदा में अधिकतम प्रीमियम धनराशि के आधार पर उस स्लाट में निर्धारित स्थलों की संख्या हेतु प्रस्ताव का चयन किया जायेगा। स्लाट विवरण के अनुसार ही स्थल क्रमशः निर्धारित है।
- 5- यूनिपोल के मानक आकार 18.59 वर्ग मीटर (200 वर्ग फुट) के अनुसार प्रति यूनिट विज्ञापन कर निर्धारित है। मानक आकार से बड़े आकार का पट्टे स्थापित किये जाने से पूर्व नगर निगम पूर्वानुमति आवश्यक होगी एवं इसके लिए अतिरिक्त विज्ञापन कर जमा करना होगा।
- 6- प्रीमियम आफर की सम्पूर्ण धनराशि एवं विज्ञापन कर की 50 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त से कम धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक होने पर प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 7- नगर निगम, गोरखपुर के विज्ञापन विभाग द्वारा जारी अदेयता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, संलग्न न करने की दशा में प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 8- प्रस्ताव के साथ आफर/निविदा फार्म मूल्य की रसीद एवं वेबसाइड से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट मूलरूप से संलग्न करना होगा।
- 9- यदि आफरदाता द्वारा विज्ञापन कर के धनराशि की अदायगी शर्तानुसार नहीं की जाती है अथवा निविदा की किन्ही शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो आफर निरस्त कर दिया जायेगा तथा कोई धनराशि वापस नहीं की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आफरदाता का होगा।
- 10- उचित मूल्य के स्टैम्प पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराने के उपरान्त ही यूनिपोल स्थापित करने की अनुज्ञा जारी की जाएगी।
- 11- भविष्य में नगर निगम द्वारा अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क आरोपित किया जाता है, अथवा विज्ञापन कर की दरों में वृद्धि की जाती है तो परिवर्तित दरों के अनुसार विज्ञापन कर जमा करना होगा।

- 12- गोरखपुर नगर निगम (विज्ञापनों पर कर का निर्धारण और वसूली) नियमावली-2015 के प्राविधानों के अनुसार ही यूनिपोल स्थापित/विज्ञापन प्रदर्शित करना होगा, अन्यथा की स्थिति में नियमावली में दी गयी व्यवस्था अनुसार जुर्माना/दण्ड, शमन, अनुज्ञा निरस्तीकरण इत्यादि कार्यवाही की जाएगी।
- 13- सत्यापन के दौरान यदि आफरदाता द्वारा यूनिपोल की संख्या अथवा श्रेणी तथा वास्तविक संख्या में कोई भिन्नता पायी जाती है, तो आफरदाता से नियमावली के अन्तर्गत प्राविधानित अर्थदण्ड वसूला जाएगा एवं तत्काल उसका शमन किया जाएगा।
- 14- नगर निगम/जिला प्रशासन/चुनाव आयोग अथवा राज्य सरकार के निर्देश पर नगर निगम द्वारा हटाये गये विज्ञापनों की क्षतिपूर्ति का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 15- भविष्य में यदि आफरदाता द्वारा आवंटित कराये गये स्थलों पर किसी अन्य महत्वपूर्ण विज्ञापन मद के लगाये जाने का प्रस्ताव नगर निगम द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, तो ऐसे स्थलों से यूनिपोल हटवाये जा सकते हैं, और इस मद में जमा धनराशि का शेष अवधि के बनने वाले विज्ञापन कर का समायोजन विज्ञापनकर्ता प्राप्त कर सकता है। नवीन स्थापित होने वाले विज्ञापन मद के आवंटन में पूर्व स्थल आवंटन के आवंटी को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 16- प्रस्ताव स्वीकृत होने के उपरान्त निर्धारित अवधि के अन्तर्गत आवेदक को अवशेष विज्ञापन कर, यूनिपोल स्थापित किए जाने वाले स्थल का नजरी नक्शा एवं नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प शुल्क जमा करना होगा, तत्पश्चात् अनुज्ञा निर्गत की जाएगी।
- 17- नियम/शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा तथा जमा धनराशि जब्त कर भविष्य के लिए प्रतिबन्धित कर दिया जाएगा।
- 18- निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर में निहित होगा। विना कारण बताये किसी भी निविदा को निरस्त किया जा सकता है।


 प्रभारी अधिकारी विज्ञापन
 नगर निगम, गोरखपुर


 नगर आयुक्त
 नगर निगम, गोरखपुर